कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख जिला–बालाघाट(म.प्र.)

क्रमांक /1860 /अ.भू.अ./रा.नि/नवी. सर्वे./2024, बालाघाट, दिनांक 28.11.2024
प्रति,

तहसीलदार सर्व,
जिला बालाघाट

विषयः– **बालाघाट जिले में नवीन सर्वेक्षण किये जाने के सबंध में।**
संदभः– आयुक्त भू–अभिलेख मध्यप्रदेश ग्वालियर का पत्र क्रमांक/11–भू.प्र./2024 351330/984 ग्वालियर दिनांक 18.11.2024

——000——

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में नवीन सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने की कार्यवाही किये जाने हेतु बालाघाट जिले की समस्त तहसील क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों में से ऐसे ग्राम जिनमें नवीन सर्वेक्षण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है, की सूची म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 (भू–सर्वेक्षण तथा भू–अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 में निर्धारित प्रारूप 12 में तैयार कर इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध काराया जाना सुनिश्चित करें।

जिससे नवीन सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने की कार्यवाही किये जाने हेतु जिले की इकजाई जानकारी तैयार कर आयुक्त भू–अभिलेख मध्यप्रदेश ग्वालियर को भेजी जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
जिला बालाघाट

पृ.क्रमांक /1860A/अ.भू.अ./रा.नि/नवी. सर्वे./2024 बालाघाट, दिनांक 28.11.2024
प्रतिलिपि –

1. आयुक्त भू–अभिलेख म.प्र. ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) समस्त जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

कलेक्टर
जिला बालाघाट

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

क्रमांक/11-भू-प्र. /2024/351330 /984/ ग्वालियर दिनांक 18/11/2024

प्रति,

कलेक्टर(भू अभिलेख)

जिला-बालाघाट

विषय- बालाघाट जिले में नवीन सर्वेक्षण किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ- माननीय विधायक गौरव सिंह पारधी विधानसभा क्षेत्र कटंगी क्रमांक 113 के पत्र क्रमांक/KTG/24/331 भोपाल दिनांक 02-09-2024 ।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। पत्र में जिले का रिकॉर्ड अत्यधिक पुराना/त्रुटिपूर्ण होने से जिला बालाघाट का भू सर्वेक्षण कराया जाने का लेख किया गया है।

उक्तानुसार जिला बालाघाट अंतर्गत आने वाले ग्राम/नगर में भू सर्वेक्षण किये जाने हेतु MPLRC1959 एवं भू सर्वेक्षण नियम 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव इस कार्यालय में शीघ्र भेजने का कष्ट करें जिसके कार्य प्रारंभ किया जा सके।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

18/11/2024

उप आयुक्त

भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

क्रमांक/11-भू-प्र. /2024/351330/984/ ग्वालियर दिनांक 18/11/2024

प्रतिलिपि -

1. निज सहायक माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र कटंगी क्रमांक 113 के पत्र क्रमांक/KTG/24/331 दिनांक 02-09-2024 के संबंध में सूचनार्थ ।

18/11/2024

उप आयुक्त

भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

श्री मेहरा

19.11.24

क्र० 1539

दि० 20/11/24

प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2024

क्रमांक /भू-सर्वेक्षण/ /2024 ग्वालियर, दिनांक

अधिसूचना
भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं –

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	छतरपुर	नौगांव	जोरन	17	**पूर्व में –** देवथा, लडपुरा (उ.प्र.), बघोरा (उ.प्र.) **पश्चिम में –** पुरवारी, अलीपुर **उत्तर में –** अमा, इमिलिया **दक्षिण में –** बडागांव, करीं जहीद (हमीरपुर उ.प्र.) उक्त चतुर्सीमा के अंदर कुल 1719.416 हेक्ट. भू-भाग

कलेक्टर
जिला – छतरपुर म0 प्र0

आयुक्त भू-अभिलेख
मध्यप्रदेश